संचिका संख्या : 2681/4/7/2020

दिनांक : .19.05.2022

आवेदक के द्वारा पुलिस के ज्यादती के ओर ध्यान आकर्षित करते हुए एक आवेदन यह कहते हुए दाखिल किया गया है कि दवा लाने के लिए डाक्टर के यहां जा रहे थे पुलिस कर्मी जो **Vehicle Checking** में व्यस्त थे उनके द्वारा उनके गाड़ी को रोक दिया गया। हेलमेट रहने और कागजात प्रस्तुत करने के बावजूद 2हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और विरोध करने पर 2500 रुपया छीन लिया गया।

पूर्व में आरक्षी अधीक्षक बक्सर का एक प्रतिवेदन प्राप्त है जो (पृष्ठ 08–09प0) पर रक्षित है जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया था कि आवेदक तथा उनके दादा के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा था। लाइसेंस नहीं था। अतः उन्हें रोका गया जिसके कारण वे गाली गलौज करने लगे और पुलिस से उलझ गये। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का दावे सत्य से परे है।

आवेदक के द्वारा लगाये गये आरोपों की सत्यता की जांच हेतु यह संचिका अपर आरक्षी महानिरीक्षक के जांच हेतु भेजी गई थी। उनका प्रतिवेदन प्राप्त है। अपर पुलिस महानिदेशक राज्य आयोग के द्वारा आवेदक के आवेदन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का प्रतिवेदन तथा अन्य कागजातों को समीक्षोपरांत अपना निष्कर्ष में यह कहा है कि संचिका में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से आवेदक से थाना प्रभारी मुरार थाना के द्वारा 2500 रुपया निकाल लेने की सही नहीं पाई गई। यह भी कहा है कि हेलमेट नहीं पहनने एवं लॉकडाउन होने के कारण थाना अध्यक्षएवं अन्य बलों के द्वारा गाड़ी रूकवाया गया। हेलमेट नहीं होने के कारण जुर्माना देने को कहा गया। इस बात पर भी आवेदक सरोज कुमार एवं सिपाही मुकेश कुमार के साथ हाथाबाई एवम् गाली गलौज करने लगे जिसके कारण मुकेश कुमार के द्वारा आवेदक एवं उनके बाबा के विरुद्ध मुरार थाना में 38/20 दर्ज कराया गया है जो जांचोपरांत सत्य पाते हुए आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है।

यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि घटना के तिथि के थाना दैनिकी के प्रविष्टि संख्या 335 दिनांक 09.07.2020 के अनुसार एवं वाहन संख्या **BR3U2533** मोटरसाईकिल को वाहन मालिक द्वारा खड़ा कर भाग जाने के कारण सुरक्षार्थ थाना में लाये जाने का उल्लेख है तथा प्रविष्टि संख्या 184 दिनांक 09.07.2020 के अनुसार वाहन संख्या **BR3U2533** मोटरसाईकिल जिसका स्वामी सरोज कुमार यादव आवेदक के द्वारा वाहन से संबंधित आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने उपरांत मोटरसाईकिल को जांचोपरांत सही सलामत मुक्त किये जाने का उल्लेख है। अपर पुलिस

महानिदेशक द्वारा अपने समीक्षोपरांत प्रतिवेदन में पुलिस द्वारा अपने बचाव में लाठी चलाये जाने के जिक्र किया है। जिस क्रम में वादी सरोज कुमार को चोट आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन से यह भी प्रतीत होता है कि आवेदक को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।

पुनः राज्य आयोग के आदेश के आलोक में आवेदक को संचिका के साथ उपस्थित करने हेतु पुलिस अधीक्षक बक्सर को मौका 113/सी0 दिनांक 08.04.2021 स्मार पत्रांक—134/सी0 दिनांक—04.06.2021 के माध्यम से उपस्थित हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि वाहन चेकिंग के दौरान आवेदक के द्वारा सहयोग नहीं किये जाने के कारण घटना घटित हुई। जिसमें आवेदक एवं उनके दादा के द्वारा पुलिस से मारपीट की गई जिसके लिए कांड दर्ज है। जिसमें उनके विरुद्ध आरोपपत्र समर्पित किया जा चुका है। आवेदक के द्वारा उन्हें मौका देने के बावजूद उपरोक्त तथ्यों के खंडन के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः इस संचिका पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं चलाते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है। आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।